7864-7938 **कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।**

संख्या– /आठ–सांख्यिकी/कम्प्यूटर/वेबसाइट/2013–14/इलाहाबादःदिनांकःमार्च 07, 2014

जिला आबकारी अधिकारी/
जनपद–(सूची अनुसार)....

विषयः– लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 के दौरान देशी/ विदेशी मदिरा एवं बीयर से सम्बन्धित दैनिक सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 चुनाव आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 चुनावों के दृष्टिगत यह निर्देश दिये गये है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 चुनाव के सन्दर्भ में अधिसूचना जारी होने की तिथि से लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 के चुनाव सम्पन्न होने की तिथि तक (सरकार के गठन तक) निम्नवत् सूचनायें उनको (मा0 चुनाव आयोग) उपलब्ध करायी जायें:–

(1) निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की मदिरा के सम्बन्ध में सूचना।

(2) उक्त सूचना की एक प्रति जनपद के चुनाव अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा एक प्रति प्रदेश स्तर पर नामित विभागीय नोडल अधिकारी (अपर आबकारी आयुक्त(प्रशासन) उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायी जायेगी।

माननीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप आपको पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। इस कार्य की महत्ता को देखते हुये विभागीय वेबसाइट पर एक वेब पेज/ एप्लीकेशन तैयार कराया गया है, जिसमें आप द्वारा प्रतिदिन सूचना भरी जानी है। ताकि चुनाव आयोग को प्रतिदिन उक्त सूचना प्रेषित की जा सके। इस वेब पेज/ एप्लीकेशन उपयोग के लिये आपको एक यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड आवंटित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

यूजर आई0डी0	..(सूची अनुसार)..
पासवर्ड	..(सूची अनुसार)..

इस वेब पेज/ एप्लीकेशन पर सूचना भरने की विधि संलग्नक में दी गयी है। अनुरोध है कि दिये गये निदेशानुसार प्रत्येक दिन की सूचना अगली तिथि को प्रत्येक दशा में उक्त वेब पेज/ एप्लीकेशन में भरा जाना सुनिश्चित करें। सूचना की शुद्धता एवं प्रेषण की जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी, अर्थात आप प्रतिदिन प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित कर लें कि सूचना सही भर दी गयी है तथा उक्त सूचना की एक प्रति जनपद स्तर पर नियुक्त चुनाव अधिकारी को भी दी गयी है।

यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं गोपनीय हैं। अतः इसकी गोपनीयता का विशेष ध्यान रखे।

(सन्दीप कुमार शर्मा)
अपर आबकारी आयुक्त(प्रशासन)
उत्तर प्रदेश।

संख्या– /आठ–सांख्यिकी/कम्प्यूटर/वेबसाइट/2013–14/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ जनपदों में प्रत्येक दिन यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा प्रत्येक दिवस की सूचना अगले कार्यदिवस में दोपहर 2.00 बजे तक अवश्य भर दी गई है।

(सन्दीप कुमार शर्मा)
अपर आबकारी आयुक्त(प्रशासन)
उत्तर प्रदेश।